अध्याय 6

लेखापरीक्षा कण्डिकाएँ:

6.1 बकाया और जुर्माने की राशि की वसूली न किया जाना

6.2 अव्यवहृत पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय

6.3 निष्फल व्यय

अध्याय 6

पथ निर्माण विभाग

6.1 बकाया और जुर्माने की राशि की वसूली न किया जाना

कार्यपालक अभियंता ने संवेदक को अंतरिम भुगतान करते समय समायोजन एवं वसूली करने में इकरारनामा की शर्तों का पालन नहीं किया। सुरक्षा जमा की राशि ₹ 3.95 करोड़ को समय से पूर्व वापस कर दिया गया और ₹ 11.17 करोड़ की राशि का वसूली/समायोजन कार्य पूर्ण होने के पाँच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं किया जा सका।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झा.लो.नि.वि.) संहिता के अनुच्छेद 175 के अनुसार, अभियंता एवं उनके अधीनस्थ यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि अनुबंध की शर्तों को सख्ती से लागू किया जाय और इकरारनामा को अमान्य या निरस्त करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया जाय।

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा चार सड़कों[1] के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2013 एवं जुलाई 2014 के मध्य) तथा प्रशासनिक स्वीकृति (सितम्बर 2013 तथा दिसम्बर 2014 के मध्य) क्रमशः ₹ 116.11 करोड़ तथा ₹ 127.24 करोड़ की दी गई थी। सभी कार्य चार अलग-अलग इकरारनामों के माध्यम से एक ही संवेदक को सौंपे गए (सितंबर 2013 और अप्रैल 2015 के मध्य)। कार्यपालक अभियंता (कार्य.अभि.), पथ प्रमंडल, राँची द्वारा ₹ 105.51 करोड़ के एकरारित मूल्य पर इकरारनामा निष्पादित (नवंबर 2013 और अप्रैल 2015 के बीच) किया गया जिसके कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि जनवरी 2015 और मई 2016 के मध्य थी। सभी कार्य फरवरी 2016 और जून 2016 के मध्य ₹ 88.37 करोड़ की लागत पर पूर्ण किए गए जैसा कि ***परिशिष्ट 6.1.1*** में वर्णित है। अंतिम विपत्र की मापी मई 2016 और मार्च 2017 के बीच ली गई थी जबकि अंतिम भुगतान किए गए विपत्रों की मापी फरवरी और अप्रैल 2016 के लिए गए थे। पूर्व में प्रमाणित अतिरिक्त कार्य मुख्य रूप से मिट्टी के कार्य, सब-बेस, बिटुमिनस और कंक्रीट कार्यों से संबंधित थे।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, राँची के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2018 से मार्च 2021 के बीच) तथा आगे एकत्रित की गई जानकारी (जुलाई 2021 एवं जनवरी 2022) से ज्ञात होता है कि प्रमंडल काम पूरा होने के पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ₹ 11.17 करोड़ की वसूली नहीं कर सका जिसमें अधिक भुगतान

---

[1] *बिरसा चौक से तुपुदाना सड़क (बी.टी. सड़क), बिरसा राजपथ (न्यू मार्केट चौक से एच.इ.सी. गेट चौक) सड़क (बी.आर. सड़क), जस्टिस एल.पी.एन. शाहदेव चौक से बूटी मोड़ सड़क (एल.बी. सड़क) एवं नामकुम से डोरंडा सड़क (एन.डी. सड़क)*

(₹ 88.60 लाख), मूल्य समायोजन (₹ 3.40 करोड़), स्वामिस्व (₹ 1.15 करोड़) और लिक्विडेटेड डैमेज (₹ 5.74 करोड़) की राशि सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त, संवेदक को ₹ 3.95 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि को समय से पहले वापस कर दी गई थी जिसकी चर्चा आगे की गई है:

(क) अतिरिक्त मापी की अनुमति के कारण अधिक भुगतान

इकरारनामा (मानक बोली दस्तावेज) की धारा 42 के अनुसार, संवेदक को पूरे किये गये कार्य के अनुमानित मूल्य की मासिक विवरणी, पूर्व में प्रमाणित संचयी राशि को घटाकर, अभियंता को प्रस्तुत करना होगा। अभियंता 14 दिनों के अंदर संवेदक के मासिक विवरणी की जाँच करेंगे और संवेदक को भुगतान की जाने वाली राशि को प्रमाणित करेंगे।

अंतिम विपत्रों के अनुसार, चार में से तीन सड़कों का कार्य मूल्य पिछले भुगतान किए गए विपत्रों से ₹ 88.60 लाख कम था। यद्यपि अधिक भुगतान को अंतरण प्रविष्टि आदेश (अं.प्र.आ.) पास करके अंतिम विपत्र में समायोजित (जून 2017) दिखाया गया, लेकिन दिसंबर 2021 तक प्रमंडलीय खाते में समायोजन नहीं दर्शाया गया था।

(ख) अंतरिम विपत्रों से स्वामिस्व की राशि का वसूली न होना

इकरारनामा की धारा 43 के अनुसार, अग्रिम भुगतान की कटौती, प्रतिधारण और अन्य वसूली इकरारनामा के अनुसार एवं कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर, भुगतेय राशि से समायोजित किया जाना चाहिए।

चार में से तीन सड़कों के अन्तिम विपत्र के अनुसार प्रमंडलीय उचंत शीर्ष में पड़ी ₹ 61.66 लाख की राशि सहित कुल ₹ 115.45 लाख की स्वामिस्व की राशि संवेदक से वसूली योग्य थी। प्रमंडल ने उचंत शीर्ष में पड़े सुरक्षा जमा राशि को डेबिट करते हुए केवल ₹ 53.80 लाख के लिए अं.प्र.आ. पास किया। उचंत शीर्ष में पड़ी स्वामिस्व की राशि को समायोजित करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2021 तक प्रमंडलीय खाते में राशि का समायोजन भी परिलक्षित नहीं हुआ।

(ग) मूल्य समायोजन नहीं किया जाना

इकरारनामा की धारा 47 के अनुसार, सामग्री की मूल्य दरों में वृद्धि या कमी होने पर और बिटुमेन की लागत में अंतर के लिए इकरारनामा की राशि को समायोजित किया जाएगा। मूल्य समायोजन प्रत्येक माह के दौरान निर्धारित किया जाएगा।

चार में से दो सड़कों के अंतिम विपत्रों के अनुसार, संवेदक से बिटुमेन की लागत का अंतर ₹ 1.32 करोड़ वसूली योग्य था जिसके लिए अं.प्र.आ. पारित किए गए थे लेकिन दिसंबर 2021 तक प्रमंडलीय खाते में समायोजन परिलक्षित नहीं हुआ था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा दो अन्य सड़कों में बिटुमेन और अन्य सामग्रियों के मूल्य के कम समायोजन के संबंध में इंगित किए जाने पर (जनवरी 2018 और मार्च 2019 के बीच), प्रमंडल ने ₹ 2.08 करोड़ की माँग (जुलाई 2019) बढ़ा दी। ₹ 3.40 करोड़ की राशि का समायोजन दिसंबर 2021 तक नहीं की गई थी।

(घ) लिक्विडेटेड डैमेज का अधिरोपण नहीं किया जाना

मानक बोली दस्तावेज (मा. बो. द.) की धारा 49 के अनुसार, संवेदक प्रत्येक दिन के लिए अनुबंध डेटा में बताए गए दर पर नियोक्ता को लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) का भुगतान करेगा जो कि कार्य के पूर्णता तिथि से निर्धारित पूर्णता तिथि के बाद में है। एलडी की कुल राशि एकरारित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और नियोक्ता संवेदक के देय भुगतान से एलडी की कटौती कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार में से तीन सड़कों[2] के पूरा होने की मूल निर्धारित तिथियां जनवरी और जून 2015 के बीच थीं। इन कार्यों की अंतिम मापी जून 2016 और मार्च 2017 के बीच दर्ज की गयी थी। जबकि, प्रमंडल ने विशेष चलंत लेखा विपत्र के माध्यम से स्वीकार्य एलडी की राशि ₹ 8.30 करोड़ के विरुद्ध, एकरारित मूल्य का 10 प्रतिशत, केवल ₹ 2.56 करोड़[3] के एलडी की कटौती की गयी जो कि विपत्र मूल्य का 10 प्रतिशत है।

(ड.) सुरक्षा जमा की अनियमित वापसी

इकरारनामा की धारा 48 के अनुसार, नियोक्ता इकरारनामा के अनुसार संवेदक को देय प्रत्येक भुगतान से सुरक्षा जमा अपने पास रखेगा। सुरक्षा जमा की आधी राशि काम के पूरा होने पर संवेदक को वापस कर दी जाती है और आधी राशि दोष दायित्व अवधि बीत जाने पर वापस की जाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रमंडल ने चार सड़कों के अंतरिम भुगतान से ₹ 7.57 करोड़[4] के सुरक्षा जमा को रोक रखा लेकिन कार्य पूरा होने और अंतिम विपत्र के निपटान के पूर्व दो सड़कों के संबंध में ₹ 3.95 करोड़[5] वापस (दिसंबर 2015) कर दिए। इस प्रकार सुरक्षा जमा की समयपूर्व वापसी की सुविधा के लिए जारी किए जा रहे विरोधाभासी समापन प्रमाणपत्रों (अक्टूबर और दिसंबर 2015) से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

---

[2] *बी.टी. सड़क फरवरी 2015, बी.आर. सड़क जून 2015 एवं एन.डी. सड़क जनवरी 2015.*

[3] *बी.टी. सड़क: ₹ 3.79 करोड़ के विरुद्ध ₹ 86.22 लाख, बी.आर. सड़क: ₹ 2.04 करोड़ के विरुद्ध ₹ 23.89 लाख और एन.डी. सड़क: ₹ 2.47 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1.46 करोड़*

[4] *बी.टी. सड़क: ₹ 3.03 करोड़, बी.आर. सड़क: ₹ 1.56 करोड़, एल.बी. सड़क: ₹ 1.13 करोड़ और एन.डी. सड़क: ₹ 1.85 करोड़*

[5] *बी.टी. सड़क: ₹ 3.03 करोड़ और एन.डी. सड़क: ₹ 92.44 लाख*

सुरक्षा जमा के समय से पहले वापसी ने भी प्रमंडल को अंतिम विपत्र के निपटान के समय सुरक्षा जमा से वसूलियों को समायोजित करने से रोका क्योंकि एक सड़क (बीटी रोड) में गलत अं.प्र.आ. पारित (जून 2017) किया गया था जिसमें ₹ 33.56 लाख[6] को सुरक्षा जमा से डेबिट किया गया था जबकि पूरी सुरक्षा जमा की राशि ₹ 3.03 करोड़ दिसंबर 2015 में ही वापस किए जा चुके थे।

(च) दो पूर्णता प्रमाणपत्रों के आधार पर समय वृद्धि प्रदान किया जाना

इसके अलावा, झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झ.लो.नि.वि.) संहिता के अनुच्छेद 291 और 292 के अनुसार, यदि कोई अनुबंध विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो अभियंता प्रमुख (अभि.प्र.) को इकरारनामा में दिए गए समयावधि के 50 प्रतिशत तक समय विस्तार (स.वि.) देने का अधिकार है और यदि स.वि. की आवश्यकता 50 प्रतिशत से अधिक है, तो मामला विभागीय सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को भेजा जाएगा जिसके अन्य सदस्य अभि.प्र., आंतरिक वित्तीय सलाहकार और संबंधित मुख्य अभियंता (मु.अभि.) होंगे। इसके अलावा, यदि इकरारनामा को मु.अभि. के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो मु.अभि. को समायावधि के 25 प्रतिशत तक और अभि.प्र. को समयावधि के 50 प्रतिशत तक स.वि. देने का अधिकार है। इकरारनामा में दिए गए समयावधि के 50 प्रतिशत से अधिक के स.वि. को समिति के पास भेजा जाएगा।

मा.बो.द. की धारा 55 और 56 में फिर से कहा गया है कि संवेदक अभियंता से काम पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करेगा और अभियंता यह तय करेगा कि काम पूरा हो गया है। अभियंता के काम पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने के सात दिनों के भीतर नियोक्ता साइट और कार्यों को अपने हाथ में ले लेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इकरारनामा के प्रावधानों से परे कार्य पूरा होने के प्रतिवेदन की तिथि के पांच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद कार्य.अभि. द्वारा दो बार जारी किए गए दो विरोधाभासी समापन प्रमाणपत्रों के आधार पर स.वि. प्रदान किया गया था। इसके अलावा, झा.लो.नि.वि. संहिता के तहत प्राधिकारियों ने अपने प्रत्यायोजित शक्तियों से परे जाकर स.वि. प्रदान किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- **बीटी सड़क**
  बीटी सड़क के कार्य पूर्ण होने की मूल निर्धारित अवधि 15 महीने थी, यानी 26 फरवरी 2015 तक। कार्य.अभि. द्वारा एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी (अक्टूबर 2015) किया गया था जिसमें समापन तिथि 14 सितंबर 2015 दर्शाई गई थी जिसके लिए

---

[6] *स्वामिस्व कि राशि कि कटौती के लिए ₹ 16.53 लाख उचंत शीर्ष में पड़े ₹ 37.28 लाख को छोड़कर और ₹ 17.03 लाख का अधिक भुगतान*

अभि.प्र. द्वारा बीटी सड़क के लिए स.वि. प्रदान (जुलाई 2016) किया गया था। संवेदक ने पुनः 26 फरवरी 2016 तक स.वि. के लिए अनुरोध (सितंबर 2020) किया जिसकी क्षेत्र अभियंताओं द्वारा सिफारिश की गई थी जो दिसंबर 2021 तक अभि.प्र. के पास पड़ा हुआ था। नई पूर्णता तिथि (26 फरवरी 2016) के समर्थन में कार्य.अभि. द्वारा 24 अगस्त 2021 को यानी अंतिम बिल जमा करने के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद एक और पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया गया था।

- **बीआर सड़क**

  बीआर सड़क के कार्य पूर्ण होने की मूल निर्धारित अवधि 10 महीने यानी 29 जून 2015 तक थी। कार्य.अभि. द्वारा 23 अक्टूबर 2015 को एक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें पूर्णता तिथि 30 सितंबर 2015 दर्शाई गई थी। संवेदक के अनुरोध (सितंबर 2020) पर मु.अभि. द्वारा काम पूरा होने के पांच साल बाद स.वि. प्रदान (अप्रैल 2021) किया गया था। इसके अलावा, झा.लो.नि.वि. संहिता के अनुसार यह स.वि., वि.नि.स. द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए था क्योंकि वि.नि.स. द्वारा अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया (अगस्त 2014) था। हालाँकि, 18 जून 2016 को कार्य पूरा होने की सूचना (जुलाई 2019) कार्य.अभि. द्वारा संवेदक को दी गयी थी।

- **एनडी सड़क**

  एनडी सड़क के कार्य पूर्ण होने की मूल निर्धारित अवधि 12 महीने यानी 14 जनवरी 2015 तक थी। कार्य.अभि. द्वारा 7 दिसंबर 2015 को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें 30 नवंबर 2015 की पूर्णता तिथि दर्शाई गई थी। आगे, संवेदक ने काम पूरा होने के पाँच साल बाद 30 नवंबर 2015 तक स.वि. के लिए अनुरोध (सितंबर 2020) किया जो फरवरी 2021 तक अधीक्षण अभियंता के पास पड़ा हुआ था। हालाँकि काम 22 फरवरी 2016 को पूरा हो गया था जैसा कि संवेदक को कार्य.अभि. के द्वारा सूचित (जुलाई 2019) किया गया था।

अतः अंतिम विपत्र के चार वर्षों के बाद स.वि. के लिए मनोरंजक अनुरोधों के माध्यम से, विरोधाभासी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने और शक्ति के प्रत्यायोजन से परे स.वि. की मंजूरी दिए जाने के फलस्वरूप संवेदक को अनुचित वित्तीय लाभ दिए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ₹ 5.74 करोड़ के एलडी की वसूली नहीं हुई।

इस प्रकार, पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभाग ₹ 11.17 करोड़ की वसूली/ समायोजन नहीं कर सका, जिसमें अधिक भुगतान (₹ 88.60 लाख), मूल्य समायोजन (₹ 3.40 करोड़), स्वामिस्व (₹ 1.15 करोड़) और लिक्विडेटेड डैमेज (₹ 5.74

करोड़) शामिल था। इसके विरुद्ध प्रमंडल मात्र ₹ 3.62 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि रोक रखा था। इसके अतिरिक्त, प्रमंडल द्वारा उचंत शीर्ष में पड़े ₹ 3.18 करोड़[7] की राशि को हस्तांतरित नहीं किया गया था जो पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

इन्हें इंगित किये जाने पर कार्यपालक अभियंता ने विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया तथा बताया (जनवरी 2022) कि समय वृद्धि प्रदान करने का निर्णय प्रक्रियाधीन थे तथा विभाग से निर्देश प्राप्त करने के बाद रोकी गयी राशि के संबंध में कार्रवाई की जायेगी।

तथापि, तथ्य यह है कि विभाग पाँच वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अपना बकाया वसूल नहीं कर सका क्योंकि क्षेत्र अभियंताओ ने इकरारनामा की शर्तों का पालन नहीं किया।

मामला सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2022)।

6.2 अव्यवहृत पुल के निर्माण पर निष्फल व्यय

पहुँच पथ के लिए भूमि का अधिग्रहण किए बिना पुल का काम शुरू करने के परिणामस्वरूप निर्मित पुल छः साल से अधिक समय से बेकार पड़ा हुआ है और ₹ 1.24 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झ.लो.नि.वि.) संहिता 2012 के नियम 132 के अनुसार, आकस्मिक कार्य जैसे दरारों की मरम्मत आदि के मामले को छोड़कर कोई भी निर्माण उस भूमि पर शुरू नहीं किया जाना चाहिए जो एक जिम्मेदार असैनिक अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत नहीं किया गया हो।

बुंडू-राहे रोड पर भोरोंगडीह नाला पर पहुँच पथ सहित एक उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल का निर्माण प्रशासनिक रूप से स्वीकृत (दिसंबर 2012) था और पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत (जनवरी 2013) जिसकी लागत ₹ 2.02 करोड़ था। प्राक्कलन में पहुँच-पथ के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹ 14 लाख का एकमुश्त प्रावधान भी शामिल था।

कार्यपालक अभियंता (कार्य.अभि.), पथ निर्माण प्रमंडल (प्रमंडल), राँची (ग्रामीण) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2020, जनवरी 2021 एवं अप्रैल 2021) से पता चला कि ₹ 1.73 करोड़ पुल एवं पहुँच-पथ निर्माण का कार्य के लिए एक संवेदक को प्रदान किया गया था (मार्च 2013)| पहुँच-पथ के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किए बिना दिसंबर 2013 तक पूरा किया जाना था। संवेदक ने पुल का काम

[7] *रोकी गई लिक्विडेटेड डैमेज ₹ 2.56 करोड़ और स्वामिस्व ₹ 61.65 लाख*

पूरा किया (मार्च 2015) और ₹ 1.24 करोड़ (मार्च 2015) का भुगतान किया गया, लेकिन भूमि का अधिग्रहण नहीं होने के कारण पहुँच-पथ का काम शुरू नहीं कर सका। संवेदक ने कार्य.अभि. से अनुबंध समाप्त करने का अनुरोध भी किया (जुलाई 2014 और जून 2017) क्योंकि समय की तय सीमा बढ़ जाने के कारण उद्धृत दरों पर आगे कार्य का निष्पादन संभव नहीं था।

आगे, लेखापरीक्षा में देखा गया कि कार्य.अभि. ने भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला भू-अर्जन अधिकारी (डी.एल.ए.ओ.), राँची को पुल निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तिथि (मार्च 2013) से एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से प्रस्तुत किया (मई 2014)। तथापि, डी.एल.ए.ओ ने कार्य.अभि. को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा (मई 2016)। कार्य.अभि. ने निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मई 2016) जिसके खिलाफ डी.एल.ए.ओ., राँची ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की और भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित (सितंबर 2017) की। डी.एल.ए.ओ. ने भूमि अधिग्रहण लागत के रूप में कार्य.अभि. से ₹ 31.01 लाख की माँग की (नवंबर 2017)।

चूँकि मूल प्राक्कलन में भूमि अधिग्रहण के लिए केवल ₹ 14 लाख का प्रावधान था, इसलिए कार्य.अभि. ने भूमि अधिग्रहण और शेष कार्य के लिए ₹ 31.01 लाख के प्रावधान सहित ₹ 2.37 करोड़ का संशोधित प्राक्कलन (सं.प्रा.) तैयार कर (दिसंबर 2017) अधीक्षण अभियंता (अ.अभि.), रोड सर्कल, राँची को वर्तमान अनुसूची दरों (एस.ओ.आर.) पर (₹ 74.05 लाख से ₹ 99.96 लाख तक) प्रस्तुत किया। हालाँकि, सं.प्रा. मार्च 2018 में मुख्य अभियंता (मु.अभि.), केंद्रीय निरूपण संगठन (सी.डी.ओ.), पथ निर्माण विभाग को प्रस्तुत किया गया था लेकिन इस तर्क पर अनुमोदित नहीं किया गया था कि अनुबंध लागू था। कार्य को बंद करने का प्रस्ताव अभियंता प्रमुख को, प.नि.वि. मुख्य अभियंता (संचार) द्वारा प्रस्तुत (अगस्त 2018) किया गया था लेकिन निर्णय प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

यद्यपि डी.एल.ए.ओ. ने कार्य.अभि. से भूमि अधिग्रहण की लागत जमा करने का अनुरोध किया (जुलाई 2018 एवं नवंबर 2018), लेकिन यह नहीं किया जा सका क्योंकि पुनरीक्षित संस्वीकृति प्रतीक्षित थी। अधिग्रहण प्रक्रिया समाप्त हो गई थी क्योंकि सितंबर 2017 में अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष के भीतर इसे पूरा नहीं किया गया था। कार्य.अभि. ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत किया (अगस्त 2019) जिसके खिलाफ डी.एल.ए.ओ., राँची ने पुन: प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित (अगस्त 2020) की और भूमि अधिग्रहण लागत के रूप में ₹ 28.24 लाख की माँग (दिसम्बर 2020)।

लेखापरीक्षा (जनवरी 2021) के इंगित करने के बाद मुख्य अभियंता, सी.डी.ओ. ने ₹ 28.24 लाख की भूमि अधिग्रहण लागत सहित ₹ 2.16 करोड़ की संशोधित तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की (मार्च 2021)। यद्यपि कार्य.अभि. ने भूमि अधिग्रहण के लिए डी.एल.ए.ओ., राँची के पास ₹ 28.24 लाख जमा (जुलाई 2021) किया, लेकिन आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया (जुलाई 2021)।

इस प्रकार पूर्वोक्त झ.लो.नि.वि. सहिता के प्रावधानों को छोड़कर, पहुँच पथ के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण किये बिना कार्य. अभि. द्वारा पुल का निर्माण शुरू करने और मु.अभि., सी.डी.ओ. द्वारा संशोधित प्राक्कलन के अनुमोदन में तीन साल से अधिक की देरी में पुल का निर्माण किया गया और मार्च 2015 में ₹ 1.24 करोड़ की लागत से पूर्ण होने के बाद भी छः वर्षों से अधिक समय तक उपयोग में नहीं लाई जा सकी। अव्यवहृत पुल का चित्र नीचे दर्शाया गया हैं:

अव्यवहृत पड़े पुल की चित्र (जनवरी 2021)

इंगित किए जाने पर (जनवरी 2021 एवं अप्रैल 2021) कार्य. अभि. ने डीएलएओ को प्रारम्भिक भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब, संशोधित प्राक्कलन के अनुमोदन में तीन वर्ष का विलम्ब एवं कार्य बंद करने में विफलता के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे, कार्यपालक अभियंता का उत्तर (जुलाई 2021) मौन रहा क्योंकि पहुँच पथ के लिए भूमि अधिग्रहित किए बिना कार्य प्रारंभ करने का कार्यादेश क्यों दिया गया। तथ्य यह भी है कि आवश्यक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है और मार्च 2022 तक पहुँच पथ का कार्य नहीं किया गया है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2022)।

6.3 निष्फल व्यय

मुख्य अभियंता (मु.अभि.), केंद्रीय निरूपण संगठन (सी.डी.ओ.), पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) ने प्रारंभ में भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को मंजूरी नहीं दी थी, हालाँकि यह मूल प्राक्कलन में शामिल था। बाद में, विभागीय अभियंताओं ने संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने और अनुमोदन करने में देरी की, जिसके कारण बक्सा नदी पर एक उच्च स्तरीय पुल आठ साल से अधिक समय से पूरा नहीं हो सका, जिससे ₹ 97.04 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), झारखण्ड सरकार के आदेश (अगस्त 2012) के अनुसार, यदि किसी पुल निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, तो संबंधित जिला भू-अर्जन अधिकारी (डी.एल.ए.ओ.) से आवश्यक भूमि की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए।

एक उच्च स्तरीय (एच.एल.) पुल का निर्माण हेतु बक्सा नदी पर चौपारण-चतरा सड़क पर पहुँच पथ के साथ पथ निर्माण विभाग द्वारा ₹ 1.88 करोड़ के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत (अक्टूबर 2012) और प्रशासनिक रूप से स्वीकृत (अक्टूबर 2012) किया गया था। निर्माण कार्य जून 2014 तक कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता (कार्य. अभि.) पथ प्रमंडल (प.प्र.), चतरा द्वारा ₹ 1.81 करोड़ का अनुबन्ध (फरवरी 2013) किया गया। संवेदक द्वारा आंशिक रूप से काम[8] किया और ₹ 97.04 लाख का भुगतान (सितम्बर 2016) किया गया।

पथ प्रमंडल, चतरा के अभिलेखों की जांच (दिसंबर 2017 एवं सितम्बर 2021) में पाया गया कि पुल के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) में भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 9.24 लाख का प्रावधान था जो कि पहुँच पथ के निर्माण के लिए आवश्यक था। तथापि, मुख्य अभियंता (मु.अभि.), केंद्रीय निरूपण संगठन (सी.डी.ओ.), प.नि.वि., राँची ने तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय बिना कोई कारण दर्ज किए भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को मंजूरी नहीं दी।

यद्ययपी पुल का कार्य प्रगति पर था, प्रमंडल द्वारा पहुँच पथ के निर्माण के लिए 0.54 एकड़ भूमि की आवश्यकता का आकलन किया गया था। कार्य.अभि. ने जिला भू-अर्जन अधिकारी (डी.एल.ए.ओ.), चतरा को भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जुलाई 2013) जिसके विरुद्ध डी.एल.ए.ओ. ने कार्य.अभि. से ₹ 46 लाख की मांग[9] की (जनवरी 2015)। संवेदक ने रैयतों द्वारा एबटमेंट (इटखोरी की तरफ) के नींव के काम के निष्पादन में बाधा के संबंध में भी सूचित किया (मई 2015 और नवंबर 2017 के बीच) क्योंकि उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

हालाँकि भूमि अधिग्रहण के लिए धन की व्यवस्था के लिए प्राक्कलन में संशोधन की आवश्यकता थी और इसके लिए डी.एल.ए.ओ. द्वारा माँग रखी गई थी (जनवरी 2015), कार्य.अभि. ने ₹ 2.35 करोड़[10] के लिए संशोधित प्राक्कलन (सं.प्रा.) मु.अभि. (सी.डी.ओ.)

---

[8] *मिट्टी का काम, वलयाकार स्थान भरना, पीसीसी और आरसीसी, फिल्टर मीडिया प्रदान करना और बिछाना, एबटमेंट में बैक फिलिंग, इलास्टोमेरिक बेयरिंग की आपूर्ति, फिटिंग और फिक्सिंग और एचवायएसडी बार लगाना आदि।*

[9] *मई 2018 में संशोधित किया गया और केवल ₹ 45 लाख की मांग की गई।*

[10] *भूमि अधिग्रहण (₹ 45 लाख) और इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी शिफ्टिंग (₹ 2.07 लाख) सहित और फिर से ₹ 2.59 करोड़ (अक्टूबर 2018) में सबस्ट्रक्चर की लागत में वृद्धि (₹ 24 लाख) को शामिल करने के बाद संशोधित किया गया*

को साढ़े तीन वर्षों के देरी के बाद, अभिलेख में जिसके कारण उपलब्ध नहीं था, प्रस्तुत किया (जून 2018)। मु.अभि. (सी.डी.ओ.) ने कार्य. अभि. को उचित माध्यम से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए कहा (नवंबर 2018) लेकिन मु.अभि. (संचार) की सहमति की प्रतीक्षा के कारण सं.प्र. का तकनीकी स्वीकृति लंबित था (मार्च 2021)।

इस बीच, निर्माण एजेंसी के मुख्य साझेदार की मृत्यु (फरवरी 2020) हो गई और अन्य साझेदारों ने कार्य पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की (मार्च 2020)। मुख्य अभियंता (संचार) ने कार्य. अभि. को निर्देश दिया (जनवरी 2021) कि अंतिम मापी लेकर शेष कार्य के लिए संशोधित प्राक्कलन तैयार करें। कार्य.अभि. ने ₹ 1.18 करोड़ मूल्य के कार्य के लिए अंतिम मापी (मई 2021) लिया एवं ₹ 3.28 करोड़[11] के लिए एक संशोधित प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता (अ.अभि.) अनुबंध को बंद करने और शेष कार्य के लिए एन.आई.टी. जारी करने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया (सितंबर 2021)। संशोधित प्राक्कलन को अभी तक मंजूरी दी जानी है (अप्रैल 2022)।

इस प्रकार, प्रारंभिक रूप से मुख्य अभियंता (सी.डी.ओ.) द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रावधान की स्वीकृति नहीं होने के कारण, हालाँकि मूल प्राक्कलन में शामिल किया गया था, और विभागीय अभियंताओं द्वारा सं.प्रा. की प्रस्तुति और स्वीकृति में पाँच वर्ष से अधिक की असामान्य देरी के कारण, प्रस्तावित कार्य शुरू होने के आठ साल (फरवरी 2013) से अधिक बीत जाने के बाद भी पुल अधूरा रहा (जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है) जिससे ₹ 97.04 लाख का व्यय निष्फल रहा।

बक्सा नदी पर चौपारण-चतरा मार्ग पर अधूरे पुल के चित्र 18 सितंबर 2021 को लिए गए

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मुख्य अभियंता (सी.डी.ओ.) ने कहा (मार्च 2021) कि योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने की तत्काल आवश्यकता थी एवं भूमि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर इसे प्रदान किया गया था। आगे उन्होंने कहा कि जून 2018 में प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत नहीं किया गया था क्योंकि मुख्य अभियंता (संचार) की सहमति प्राप्त नहीं हुई थी।

---

[11] *ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य ₹ 1.18 करोड़, शेष कार्य की लागत ₹ 1.63 करोड़, भूमि अधिग्रहण ₹ 45 लाख एवं विद्युत यूटिलिटी शिफ्टिंग ₹ 2.07 लाख।*

मुख्य अभियंता (सी.डी.ओ.) का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहुँच पथ के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक था तथा भूमि अधिग्रहण के प्रावधान को छोड़कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना क्रम में नहीं था। इसके अलावा, संशोधित प्राक्कलन के अनुमोदन में देरी से इंगित हुआ कि क्षेत्र स्तर के अधिकारियों यानी, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता (संचार) ने भूमि के अधिग्रहण और पुल को पूरा करने के लिए आवश्यक उचित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2022); उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2022)।

राँची | **(अनूप फ्रांसिस डुंगडुंग)**
दिनांक: 06 मई 2023 | **महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: 09 मई 2023 | **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**